सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (द्वितीय), सीकर

कदमा — महिपाल कुमार — बनाम — रामुनाना देवी आदि

दावा — मु. नं. 2025/06 — वर्ष 2025

आज्ञा - पत्र

पत्रावली निकुल तवारी आयोन पर तवारी की गई वादी व प्रतिवादिका० 1 न्यायालय में उपस्थित होकर आपस जावा दावा नोट पेपर में दर्ज किए जाने पेश कर निवेदन किया कि वादी व प्रतिवादिका० 1 के मध्य राजीनामा हो गया है। इस लिए वादी द्वारा प्रस्तुत वाद तथा प्रतिवादिका० 1 द्वारा प्रस्तुत काउंटर वाद आगे नहीं चलाना चाहते हैं वादी एवं प्रतिवादीका० 1 ने आपसिक पर दस्तखत व अंगुठा निशानी लगाकी वादी के एडवोकेट श्री रामावतार शर्मा ने तथा प्रतिवादिका की एडवोकेट श्री रामावतार मोदी ने की। अतः वाद वादिका व प्रतिवादी का० 1 का वाद नोट पेपर में दर्ज किए जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर नस्तर के लायक है। आपसिक दस्तर है।

निर्णय आज सीकर में सुनाया गया।

को मुखे न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर II
सीकर

सहायक कलक्टर II
सीकर

वादिगण को आगे नहीं चलाना चाहते हैं।

महिपाल कुमार
एडवोकेट

Rav
वादी ने दि. को आगे नहीं चलाना चाही है

26 जुलाई
एडवोकेट